



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर



(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

e-mail- nns@msuniversity.ac.in

पत्र संख्या - 2321 - 66 एम०एस०यू० / रासेयो / 2022-23 /

दिनांक: - 16/01/2023

सेवा में

पाठ्य/प्राचार्य,

भगवन्त कालेज शाफ

शुक्रान, मुजफ्फरनगर।

विषय - राष्ट्रीय सेवा योजना सत्र 2022-23 हेतु छात्र संख्या आगटन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि आपके महाविद्यालय/संस्थान हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की निम्नलिखित इकाई/इकाईयां स्वीकृत की जा रही है, जिनके आधार पर सामान्य (नियमित) तथा विशेष शिबिर कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार छात्र/छात्रा संख्या निर्धारित की गई है। इकाईयो की संख्या 01..... छात्र संख्या सामान्य (नियमित) कार्यक्रम 100..... विशेष शिबिर..... 50.....

कृपया उक्त इकाई/इकाईयो हेतु कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना में रुचि रखने वाले प्राध्यापकों में से पैनल तैयार कर वरीयता क्रम में तीन-तीन नाम प्रस्तावित कर विश्वविद्यालय को भेजने का कष्ट करें, जिससे आपके महाविद्यालय/संस्थान की राष्ट्रीय सेवा योजना व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित हो सके।

यदि आपके महाविद्यालय के किसी कार्यक्रम के अधिकारी का कार्यकाल तीन वर्ष पूर्ण हो चुका है, तथा वह प्रशिक्षित है और कार्य उच्च क्वालिटी का रहा हो तो एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार हेतु कार्यक्रम अधिकारी के पत्र/प्रस्ताव अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। जिन कार्यक्रम अधिकारियों ने एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी सी०ओ०सी/ई०सी०आई० द्वारा सात दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उनको मानदेय का भुगतान न किया जाये, तथा उनके स्थान पर नियुक्ति हेतु नया पैनल भेजा जाये यदि किसी कारण कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति हेतु पैनल तैयार कर भेजने में कठिनाई आ रही है, तो अतिरिक्त सूचित करे जिससे उक्त इकाई को किसी अन्यत्र महाविद्यालय हेतु स्थानान्तरित करने, की कार्यवाही की जा सके। यह भी सूचित है कि विशेष शिबिर आयोजित न करने वाली इकाईयों के कार्यक्रम अधिकारी को भी मानदेय का भुगतान न किया जाये।

उपरोक्त छात्र संख्या निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है।

1. प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा छात्रों का ऑनलाईन पंजीकरण करने के बाद नियेश पत्र, पंजीकरण सूची एच स्ल० 05/- प्रति छात्र की दर से पंजीकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी के पद नाम देय हो राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ को दिनांक 25 जनवरी, 2022-23 तक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। (छात्रों के पंजीकरण हेतु पोर्टल <http://cdnlnones.upsdc.gov.in> पर करना सुनिश्चित करें।) सगैर ऑनलाईन करने पंजीकरण के छात्रों की सूची मान्य नहीं होगी।
2. प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा अलग-अलग ग्राम/शहरी मलिन बस्ती का घटन संस्था से निकटतम दूरी तक विन्ना जाये। यदि आपके महाविद्यालय के पास साराद द्वारा किसी गांव को गोद लिया गया है तो कार्यक्रम के रूप में उसी गांव को चयनित किया जाये।
3. प्रत्येक इकाई द्वारा सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चारों एक दिवसीय शिबिरों के आयोजन की प्रस्तावित तिथियां चयनित ग्राम/शहरी मलिन बस्ती के सगैर विचरण सात दिवसीय विशेष शिबिर मान्य नहीं होगा।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा खर्चों में गतिव्ययता लायी जाये। अन्य श्रोत से ग्रहण लेकर कार्यक्रमों का संचालन किया जाये।
5. नियमित (सामान्य) कार्यक्रम न्यूनतम 120 घन्टे करना सुनिश्चित किया जाये साथ ही एक वर्ष में कम से कम 10 घन्टे गणगन्त दिवस परेड नई दिल्ली की तैयारियों/अभ्यास के लिए आरक्षित किया जाये, 31 मार्च तक